



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर - 302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone - 0141-2989581 E-Mail : rd-rajabsthan@esic.gov.in
Website : www.esic.gov.in / www.esic.in

क्रमांक:- A-22/16/2025-ADMN

दिनांक:- 08-12-2025

परिपत्र

विषय :- Seeking options for choice station through online module from the officials on the administrative side of ESI Corporation drawing scale of pay corresponding to Group 'C' officials of the Central Government upto the cadre of Assistant for Annual General Transfer within the region (Intra Region) for the 'Transfer Year-2026 के संबंध में ।

मुख्यालय, नई दिल्ली से जारी परिपत्र सं. A-33/19/2/TransferPolicy/2022-E-II-Part(2) दिनांक 05.12.2025 इस परिपत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं परिपत्र में दिए गए अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है । उक्त परिपत्र मुख्यालय की वेबसाइट www.esic.gov.in पर Instruction/Order/Circular Console में No. 23636/2025 पर उपलब्ध है।

दिनांक 10.01.2025 की उपरोक्त स्थानांतरण/पदस्थापन नीति के खंड 12.2 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि चूँकि नीति स्थानांतरण/पदस्थापन अनुरोधों के निपटान हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन व्यवस्था को अनिवार्य बनाती है, इसलिए अधिकारियों द्वारा डाक या ईमेल द्वारा भौतिक आवेदन/ऑनलाइन विकल्पों का स्क्रीनशॉट आदि नहीं भेजे जाएँगे। नियंत्रक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और किसी भी आवेदन को भौतिक रूप में या ईमेल के माध्यम से अग्रप्रेषित नहीं करेंगे। अतः, यह पुनः दोहराया जाता है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत स्थानांतरण अनुरोधों पर ही विचार किया जाएगा।

Attention is also invited to clause 12.2 of the aforesaid transfer/ posting policy dated 10.01.2025 whereby it has been prescribed that as policy mandates an online mechanism through online portal to deal with the transfer/ posting requests, physical applications/screenshot of online options applied etc. shall not to be sent by post or email by the officials. Controlling Officers/ Head of the Offices shall ensure the compliance of this direction and not to forward any application in physical form or through e-mail. It is, therefore, reiterated that only those transfer requests submitted through online module shall be entertained.

सभी Accounting Unit Heads से अनुरोध है कि दिनांक 22.12.2025 तक कार्मिको से

ऑनलाइन प्राप्त स्थानांतरण हेतु आवेदनो को मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र स. Pt-A-33/19/2/Transfer Policy/2/2022-E-II dated 10-01-2025 के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार जांचकर/सत्यापित कर दिनांक 29.12.2025 तक क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को ऑनलाइन प्रेषित कर देवे।

Digitally signed by
"GAJENDRA SINGH"
Date: 08-12-2025
17:40:22

गजेन्द्र सिंह
उप निदेशक(प्रशासन)

संलग्न :- यथोपरी

प्रतिलिपि:-

1. सभी कर्मचारी, राजस्थान क्षेत्र को उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से।
2. सभी शाखाधिकारी/शाखाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ की उक्त परिपत्र अपने मातहत सभी सम्बंधित कार्मिकों के संज्ञान में लावे।
3. अधिष्ठाता(Dean), कराबी निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अलवर/जयपुर को इस आशय के साथ की उक्त परिपत्र अपने मातहत सभी सम्बंधित कार्मिकों के संज्ञान में लावे।
4. चिकित्सा अधीक्षक, कराबी निगम चिकित्सालय, भिवाड़ी/उदयपुर/कोटा/बीकानेर को इस आशय के साथ की उक्त परिपत्र अपने मातहत सभी सम्बंधित कार्मिकों के संज्ञान में लावे।
5. संयुक्त निदेशक प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर/उदयपुर/अलवर को इस आशय के साथ की उक्त परिपत्र अपने मातहत सभी सम्बंधित कार्मिकों के संज्ञान में लावे।
6. सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, डीसीबीओ, राजस्थान क्षेत्र को इस आशय के साथ की उक्त परिपत्र अपने मातहत सभी सम्बंधित कार्मिकों के संज्ञान में लावे।
7. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, राजस्थान क्षेत्र को इस आशय के साथ की उक्त परिपत्र अपने मातहत सभी सम्बंधित कार्मिकों के संज्ञान में लावे।
8. सचिव, एसिक स्टाफ यूनियन, राजस्थान क्षेत्र।
9. नोटिस बोर्ड।